



बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 11 नि० गो० वि० (01)- 17/2017

दिनांक - 2018

आदेश

28.03.2018

दोनों आरोपित कर्मी (श्री बलराम राय और श्री उमेश कुमार पांडेय) एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-11) उपस्थित हुए।

पिछली सुनवाई की तिथि :- 16.03.2018 को मामले में आरोपी का बचाव बयान अनुलग्नकों सहित की प्रति प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए मंतव्य समर्पित करने का निदेश पारित किया गया था। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आज दिनांक :- 28.03.2018 को मंतव्य समर्पित नहीं किया गया। उनके द्वारा मंतव्य समर्पित करने हेतु समय की मांग की गई। जिसे स्वीकृत किया गया।

आरोपित कर्मियों को अपने बचाव बयान के अतिरिक्त अपने पक्ष में कोई साक्ष्य/प्रमाण अपने समर्थन में प्रस्तुत करना है तो अगली तिथि को प्रस्तुत करें। यदि प्रस्तुत नहीं करना है तो इस आशय का लिखित बयान प्रस्तुत करें।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-06.04.2018 को निर्धारित की गयी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० कृष्णकान्त कुमार)

उप निदेशक (मु०) -सह-

जाँच पदाधिकारी,

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापक-11 नि० गो० वि० 01-17/2017

1051 (1/2)

पटना-15, दिनांक-31/03/2018

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-11 प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री बलराम राय, निलंबित, सहायक चारा विकास पदाधिकारी, बेतिया मुख्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर एवं श्री उमेश कुमार पाण्डेय, निलंबित सहायक चारा विकास पदाधिकारी, बेतिया मुख्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड/ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

28/3/2018

उप निदेशक (मु०) -सह-

जाँच पदाधिकारी,

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।